फाइल सं. 5(3)-बी(पीडी)/2017
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली दिनांक: 16 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी ऋण/अग्रिम- ब्याज दर एवं अन्य शर्तें एवं निबंधन

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी, 2017 के कार्यलय ज्ञापन फा.सं. 5(3)-बी(पीडी)/ 2017 का संदर्भ कर लें।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित उधार की दरों की समीक्षा की गई हैं यह विनिश्चय किया गया है कि रुग्ण किस्म के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वीआरएस के आरोपण के लिए ऋण पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 की तरह 10% की दर से जारी रहेगा। इसके अलावा भविष्य में यदि किसी वित्तीय संस्था/सीपीएसई/ स्वायत्त निकाय/सहकारिता या राज्य सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होता है, तब मामले की गुणादोष के आधार पर बजट प्रभाग/आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

3. ऋण को जारी करने की निबंध/शर्तें यथावत रहेगी, जैसाकि वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त दिनांक 6 जनवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में थी, इसके साथ-साथ भारत सरकार के बकाया ऋण या उसके ब्याज के माफी के लिए यदि कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तब केवल उन्ही मामलों पर विचार किया जाएगा जहां सीपीएसयू बंद की जा रही है /कार्यनीतिक रूप से बेची जा रही है

4. इसे माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अंजना वशिष्ठा)
उप-सचिव (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय और उनके वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियंत्रक सहित सभी मंत्रालय,
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा क (10 प्रतियां)
3. महालेखा नियंत्रक और रक्षा लेखा महानियंत्रक (10 प्रतियां)
4. भारत के महा नियंत्रक एवं निदेशक (10 प्रतियां)
5. सभी महालेखाकार एवं लेखा निदेशक (10 प्रतिशत)
6. भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई (10 प्रतिशत)